2025/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 74/2025 तारीखरजू:– 27.08.2025

उनवान:– दलवीर सिंह बगै0 बनाम अरुण बगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
08.2025	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **अप्रार्थीगण को आगामी पेशी** तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 150 रकवा 0.25 है0 ग्राम गहरौली तहसील टोडाभीम मे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
8/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न 1, 2 के नोटिस तामील प्राप्त नहीं हुये है वास्ते इन्तजार तामील नोटिस दिनांक 13.11.25 को पेश हो।
13.11.25	[illegible] /वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी...... अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली मतानुसार दिनांक...... 2.12.25 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौ[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
02.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील को मौखिक तकमील रजिस्टर्ड एडी पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 24.12.25 को पेश हो
24.12.25	पत्रावली पेश [illegible] कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार [illegible] 27.1.26 को पेश हो।
27.1.26	वादी वकील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] मीटिंग में व्यस्त है पत्रावली गतानुसार दिनांक 30.1.26 को पेश हो।
30.1.26	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी कलेक्टर मीटिंग के पश्चात् पत्रावली गतानुसार दिनांक 2-2-26 को पेश हो।
2.2.26	[illegible] वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे पर व्यस्त है पत्रावली गतानुसार दिनांक 3.2.26 को पेश हो।
3.2.26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व प्रार्थी वकील को उपस्थित नहीं इसलिए बार-बार आवाज दिलाई गई इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली